राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर

क्रमांक रसद/लेखा/2022/2670 दिनांक 15/11/22

सार्वजनिक नीलामी सूचना

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्त निम्न सामग्री को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय नागौर के निर्णय के कम में खुली बोली द्वारा "जहां है जैसा है" के आधार पर नीलामी कमेटी द्वारा निम्नलिखित स्थान पर प्रातः 11.00 बजे विक्रय किया जाना है। इच्छुक खरीददार निर्धारित बयाना राशि नगद अथवा जिला रसद अधिकारी नागौर के नाम से डीडी नीलामी समय से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते है :-

प्रकरण संख्या	नाम वस्तु एवं मात्रा	न्यूनतम बोली	माल का अनुमानित मूल्य	बयाना राशि 2 प्रतिशत	नीलामी तिथि व स्थान
रसद मामला संख्या 118/2021 निर्णय दिनांक 19.10.2022	16900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ	57.76 रूपये प्रति लीटर	976144/-	19523/-	30.11.2022 स्थान - पुलिस थाना सुरपालिया

1. नीलामी की शर्ते विभाग की वेबसाईट http://www.food.raj.nic.in तथा http://www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है एवं नीलामी की शर्तो कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय, नागौर मे भी देखी जा सकती है।
2. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय समय मे प्राप्त की जा सकती है।
3. नीलामी योग्य सामग्री का नमूना सम्बन्धित पुलिस थाने मे देखा जा सकता है।
4. पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा अन्य सामग्री की दर उपापन समिति द्वारा मौके पर निर्धारित की जायेगी।

14/11/22

जिला रसद अधिकारी
नागौर

क्रमांक सम/2671-81 दिनांक 15/11/22

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आप विभागीय प्रतिनिधि नीलामी स्थल पर भिजवाने की कृपा करावें।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
5. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर को भेजकर निवेदन है कि आप कमेटी के अध्यक्ष होने के कारण नीलामी स्थल पर उपस्थित रहने की कृपा करावें।
6. उपखण्ड अधिकारी, जायल को भेजकर निवेदन है कि आप निर्धारित तिथि एवं समय पर कमेटी स्थल पर उपस्थित होने का श्रम करावें।
7. कोषाधिकारी, नागौर को भेजकर लेख है कि आप नीलामी कमेटी के सदस्य होने के कारण निर्धारित तिथि को कमेटी स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
8. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, नागौर व दैनिक भास्कर नागौर को प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप नीलामी सम्बन्धी कार्य में नीलामी समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें साथ ही समस्त अनुज्ञापत्रधारी व्यक्तियों/फर्मो को सूचित करें।
10. थानाधिकारी पुलिस थाना सुरपालिया को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नीलामी के समय निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहेगें एवं नीलामी मे रखा गया माल समिति को सुपुर्द करेगें।
11. प्रोग्रामर खाद्य एवं नागरिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर को खाद्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

जिला रसद अधिकारी
नागौर

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर

नीलामी की अन्य शर्ते

1. नीलामी से पूर्व बोली दाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी, नागौर के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैंक चैक/नगद जमा करवानी होगी।
2. बोली से पूर्व बोली दाता पेट्रोलियम पदार्थ का नीलामी स्थल पर निरीक्षण कर सकता है।
3. नीलामी के सन्दर्भ मे अन्य किसी से जानकारी एवं अन्य शर्तो हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे सम्पर्क कर सकता है।
4. नीलामी की सूचना विभाग वेबसाईट http://www.food.raj.nic.in या http://www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती हैं
5. बोलीदाता के पास विधि सम्मत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है।
6. राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नीलामी की जावेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष मे बोली छुटने पर बोलीदाता को कुल कीमत का 1/4 भाग राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा 3/4 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस मे जमा करवाकर माल सुपुर्दगी पर प्राप्त करना होगा। सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे मे लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नही करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/जीएसटी/वेट) इत्यादि जो भी देय हो देना होगा।
9. पेट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहां पदार्थ पडा है) सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
10. किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
11. पेट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात बोलीदाता उक्त पदार्थ का विधि सम्मत प्रयोग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात End Use Certificate जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रस्तुत करना होगा।
12. न्याय क्षेत्र नागौर होगा।

15/11/22

जिला रसद अधिकारी
नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर

क्रमांक रसद / लेखा / 6ए. / 2022 / 2682

दिनांक 15/11/22

प्रेषित :—

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
जायल

विषय : — सार्वजनिक नीलामी मे उपस्थित होने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रसद मामला संख्या 118 / 2021 सरकार बनाम डालुभाई डायहाजी भील वगैराह में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के निर्णय दिनांक 19.10.2022 की पालना में दिनांक 23.11.2022 को पुलिस थाना सुरपालिया मे सार्वजनिक निलामी रखी गई थी। उक्त निलामी हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक 2663 दिनांक 11.11.2022 द्वारा आपको भी सदस्य नामित किया गया था लेकिन उक्त निलामी अपरिहार्य कारणों से दिनांक 23.11.2022 के स्थान पर दिनांक 30.11.2022 को रखी गई है। अतः आप निर्धारित तिथि एवं समय को कमेटी स्थल पर उपस्थित होने का श्रम करावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

15/11/22

जिला रसद अधिकारी
नागौर